

164 dt -21-03-18

5-अ/अ

बिहार सरकार  
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग  
सं० सं०-2/शि०स्था०-60-51/2016- 1640

164

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार (भा०प्र०से०)  
निदेशक।

सेवा में,

महालेखाकार,  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक - 08.03.18

विषय:- श्री पंकज कुमार, स्नातक सहायक शिक्षक, राजकीय अम्बेदकर +2 आवासीय उच्च विद्यालय, मनफर, गया के पिता श्री कृष्ण बल्लभ प्रसाद यादव, के हृदय रोग के इलाज पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु कुल 2,12,469/-रु० (दो लाख बारह हजार चार सौ उनहत्तर रूपये) मात्र की निकासी एवं भुगतान की स्वीकृति।

आदेश:- स्वास्थ्य विभाग के परिपत्र सं०-946 (14), दिनांक-14.08.2015 के आलोक में स्वीकृत।  
2- चिकित्सा प्रतिपूर्ति से होने वाले व्यय का वहन आय-व्ययक के राशी

शीर्ष से होगा, जिससे संबंधित सरकारी सेवक अपना वेतनादि प्राप्त करते हैं, के अन्तर्गत प्राथमिक ईकाई-0601-चिकित्सा प्रतिपूर्ति से विकलनीय होगा।

3- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, गया होंगे।

4- इस राशि का स्वीकृति में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की राहगति तथा विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

5- इस संबंध में पूर्व में निर्गत स्वीकृत्यादेश सं०-1203 दिनांक-17.05.2017 को रद्द किया जाता है।

विश्वासभाजन,

(वीरेन्द्र कुमार) 08/03/18  
निदेशक।

ज्ञापांक-2/शि०स्था०-60-51/2016- 1640

पटना, दिनांक- 08.03.18

प्रतिलिपि:-जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना/गया/जिला कल्याण पदाधिकारी, पटना/गया/श्री पंकज कुमार, स्नातक सहायक शिक्षक, राजकीय अम्बेदकर +2 आवासीय उच्च विद्यालय, मनफर, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

-जिला कल्याण पदाधिकारी, पटना से अनुरोध है कि श्री कुमार द्वारा उपलब्ध किये गये चिकित्सा अभिश्रव जिला कल्याण कार्यालय, गया को प्रेषित करने की कृपा करें।

निदेशक 16/3/18

ज्ञापांक- 2/शि०स्था०-60-51/2016- 164

पटना, दिनांक: 21/3/18

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, शेरघाटी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक 1/4/18